

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

अधिसूचना संख्या 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

साकानि.....(अ) वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 120 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती हैं कि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019, 01 सितंबर, 2019 से लागू होगी।

फा.सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)

(माजिद खान)  
उपायुक्त सीएक्स-8